देश में पेट्रोलियम उत्पाद की कोई कमी नहीं

- राजनाथ सिंह ने बुलाई हाई लेवल इमरजेंसी मीटिंग
- घबराहट में खरीददारी से बचें लोग : राजनाथ

नयी दिल्ली 11 मई. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ऊर्जा संरक्षण की अपील को लेकर विपक्षी दलों की आलोचना के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश में किसी भी पेट्रोलियम उत्पाद की कोई कमी नहीं है और लोगों को घबराहट में खरीददारी से बचना चाहिए।

श्री सिंह ने सोमवार को यहां पश्चिम एशिया संकट के बारे में गठित मंत्रियों के अनौपचारिक समूह की पांचवीं बैठक की अध्यक्षता की.बैठक में संघर्ष की ताज़ा स्थिति की समीक्षा की गई तथा भारत की तैयारी को मजबूत करने और इसका जनता पर न्यूनतम प्रभाव सुनिश्चित करने के उपायों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद श्री सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की.उन्होंने लोगों से शांत रहने और किसी भी प्रकार की घबराहट से बचने का आग्रह किया, क्योंकि कमी या आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान रोकने के लिए सभी ठोस कदम उठाए जा रहे हैं.

मंत्रियों के समूह को बताया गया कि देश में आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त उपलब्धता है और वर्तमान संरक्षण उपाय केवल दीर्घकालिक क्षमता निर्माण के उद्देश्य से किए जा रहे हैं जिससे संकट के लंबा खिंचने की स्थिति से निपटा जा सके.यह भी कहा गया कि आपूर्ति प्रबंधन संतोषजनक है और लोगों को घबराने या ईंधन एवं अन्य वस्तुओं की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है. रक्षा मंत्री ने जोर देकर कहा कि मौजूदा परिस्थिति में भारत की प्राथमिकता ऊर्जा आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखना, आर्थिक स्थिरता बनाए रखना और समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है.उन्होंने सभी संबंधित पक्षों को हर परिस्थिति से निपटने के लिए सतर्क रहने के निर्देश दिए.उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया की स्थिति को केवल एक अलग घटना के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि परस्पर जुड़े वैश्विक वातावरण में किसी भी प्रकार का अंतरराष्ट्रीय संकट प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सभी देशों को प्रभावित करता है.

संकट के समय में नागरिक अपनी जिम्मेदारी निभाएं

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी सोमवार को कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष जल्द खत्म होता नहीं दिख रहा है और ऐसे समय में हर नागरिक की जिम्मेदारी बढ़ जाती है. उन्होंने कहा कि देश को विदेशी मुद्रा बचाने और आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए सामूहिक प्रयास करने होंगे. हालांकि विपक्ष ने सरकार की इस अपील को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता से त्याग मांगना सरकार की नाकामी का प्रमाण है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार हर संकट में जिम्मेदारी जनता पर डाल देती है. वहीं, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने साफ कहा कि वैश्विक ऊर्जा सप्लाई चेन पर असर पड़ा है और अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है.

स्वास्थ्य के लिए जो खाएं, वही उगाएं : शिवराज

प्रोएक्टिव हेल्थ सिस्टम की दिशा में बड़ा कदम : नड्डा

नई दिल्ली, 11 मई. केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री जे.पी. नड्डा और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में आज दिल्ली में सेहत मिशन लॉन्च किया गया, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में खेती से स्वास्थ्य तक भारत की नई बड़ी पहल है.

यह आईसीएआर - आईसी एमआर की साझेदारी से प्रारंभ हेल्दी फूड, हेल्दी फार्म और हेल्दी इंडिया का नया महत्वपूर्ण मिशन है. इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, आईसी एमआ के महानिदेशक डॉ. राजीव बहल और आईसीएआर के महानिदेशक डॉ. एम.एल. जाट भी उपस्थित रहे।कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा ने कहा कि सेहत मिशन भारत की नीति-निर्माण प्रक्रिया में एक बड़े बदलाव का प्रतीक है, जहाँ सरकार अब केवल इलाज पर नहीं, बल्कि रोकथाम, समय पर पहचान और निरंतर देखभाल पर बल दे रही है. उन्होंने कहा कि यह पहल बताती है कि भारत अब रिएक्टिव नहीं, बल्कि प्रोएक्टिव सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। श्री नड्डा ने कहा कि लंबे समय तक कृषि और स्वास्थ्य संस्थान अलग-अलग दिशा में काम करते रहे, लेकिन अब आईसीएआर और आईसीएमआर का साथ आना विज्ञान-आधारित समाधान की नई शुरुआत है। उन्होंने कहा कि यह मिशन कुपोषण और दूसरी ओर तेजी से बढ़ रही नॉन-कम्युनिकेबल डिजीज, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन और कैंसर, दोनों चुनौतियों से निपटने में बड़ी भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि भारत को अब अपने अनुभव, अपने अनुसंधान और अपने वैज्ञानिक प्रमाणों पर आधारित स्वदेशी समाधान विकसित करने होंगे। उनके अनुसार लो-कॉस्ट, हाई-क्वालिटी और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित समाधान ही देश के लिए सबसे उपयोगी होंगे, और इस दिशा में आईसीएमआर पूरी प्रतिबद्धता से काम करेगा.

हनोई क्लब में भीषण आग

हनोई, 11 मई. हनोई में रविवार सुबह एक बड़े हादसे ने लोगों को दहला दिया. तू लीम वार्ड की व्यस्त ले डुक थो स्ट्रीट पर स्थित वॉल्यूम क्लब में अचानक आग लग गई.

यह क्लब रेस्तरां और कॉफी शॉप के रूप में संचालित होता है. आग लगने के कुछ ही मिनटों में पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, सुबह करीब 10:15 बजे इमारत से धुआं निकलता दिखाई दिया, जिसके बाद आग तेजी से फैलने लगी. देखते ही देखते आग ने क्लब के बाहरी हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया. रेस्तरां के बाहर लगा बड़ा साइन बोर्ड पूरी तरह जल गया और आसपास मौजूद लोगों में दहशत फैल गई. घटना की सूचना मिलने पर हनोई सिटी पुलिस तुरंत सक्रिय हुआ. विभाग ने आग बुझाने और बचाव अभियान के लिए लगभग 10 दमकल गाड़ियों को स्थल पर भेजा. दमकल कर्मियों ने आग को नियंत्रित करने की कोशिश शुरू की. आग की तीव्रता को देखते हुए बचाव दल ने आसपास की इमारतों को भी खाली कराया ताकि कोई बड़ा हादसा न हो.

चंबा हादसे में गुजरात के 6 पर्यटकों की मौत

चंबा, 11 मई. हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के भटियात उपमंडल में रविवार तड़के एक भयावह सड़क हादसा हुआ, जिसमें गुजरात के छह पर्यटकों की मौत हो गई और चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा ककीरा-लाहडू मार्ग पर उस समय हुआ जब मनाली से डलहौजी की ओर जा रही इनोवा कार बारिश के कारण अनियंत्रित हो गई और गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। पुलिस और स्थानीय लोगों ने मिलकर भारी वर्षा और अंधेरे के बावजूद सभी घायलों और मृतकों को खाई से बाहर निकाला. घायलों को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया और उनकी गंभीर स्थिति देखते हुए उन्हें डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज, टांडा रेफर किया गया.पुलिस ने पुष्टि की कि हादसे में मरने वालों में पांच पर्यटक गुजरात के भावनगर के रहने वाले थे, जबकि वाहन चालक मंडी जिले का निवासी है. मृतकों में ललित भाई फटनानी, ममता बेन, काजल भोपानी, दियांश भोपानी, प्रियांक भोपानी और जसवंत सिंह. घायलों में मयंक फटनानी, फोरेमबेन, जियांश और प्रियांशी भोपानी शामिल हैं.

तेलंगाना के सड़क हादसे में पांच लोगों की मौत

महबूबनगर, 11 मई. तेलंगाना में महबूबनगर बाईपास रोड पर पलकौंडा चौरास्ता में सोमवार सुबह एक स्पोर्ट्स मोटर साइकिल की कार से टक्कर हो गई, जिसमें दो बच्चों समेत पांच लोगों की मौत हो गई और एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. पुलिस के अनुसार, मोटरसाइकिल पर सवार दो लोग याकूब (25) और हैदराबाद निवासी एक अन्य व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई।

आज का इतिहास

1459 - जोधपुर की स्थापना हुई.
1666 - पुरंदर की संधि के तहत शिवाजी औरंगजेब से मिलने आगरा पहुंचे.
1689 - इंग्लैंड और हॉलैंड ने लीग ऑफ़ आग्सबर्ग बनाया.
1915 - क्रांतिकारी रासबिहारी बोस ने जापानी नौका सानुकी मारू पर सवार होकर भारत छोड़ा.
1925 - उजबेकिस्तान और किर्गिजिस्तान स्वायत्त सोवियत गणराज्य बने.

लेबर कोड से मजदूरों को हो रहा नुकसान : खरगे

केंद्र सरकार पर खरगे का बड़ा हमला

नई दिल्ली, 11 मई. कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मोदी सरकार पर पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म होने के तुरंत बाद चार श्रम संहिताओं को लागू करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने कायरतापूर्ण तरीके से 8 और 9 मई 2026 को गजट अधिसूचनाओं के जरिए इन श्रमिक विरोधी कानूनों को लागू किया. खरगे ने सोमवार को बयान जारी कर कहा कि ये कानून करोड़ों मजदूरों के लिए हायर एंड फायर, रोजगार और यूनियन अधिकारों में कटौती का रास्ता खोलते हैं.

वैज्ञानिक देश के स्वाभिमान के सच्चे शिल्पी

- प्रौद्योगिकी आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का एक प्रमुख स्तंभ

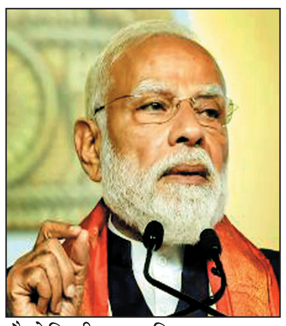

नई दिल्ली, 11 मई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिकों को देश के गौरव और स्वाभिमान के सच्चे शिल्पी बताते हुए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की शुभकामनाएं दी हैं. प्रधानमंत्री ने 18 वर्ष पहले किए गए परमाणु परीक्षणों को भारत के सामर्थ्य का प्रतीक बताया है.

श्री मोदी ने सोमवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा कि वर्ष 1998 में आज के दिन पोखरण में हुए परमाणु परीक्षण ने दुनिया को भारत के अद्भुत सामर्थ्य से परिचित कराया। हमारे वैज्ञानिक देश के गौरव और स्वाभिमान के सच्चे शिल्पी हैं.एक अन्य पोस्ट में उन्होंने प्रौद्योगिकी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस दिन हम अपने वैज्ञानिकों की मेहनत और समर्पण को याद करते हैं.उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर शुभकामनाएँ. हम गर्व के साथ अपने वैज्ञानिकों की कठोर मेहनत और समर्पण को स्मरण करते हैं, जिनके कारण वर्ष 1998 में पोखरण में सफल परीक्षण संभव हो सके. वह ऐतिहासिक क्षण भारत की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक था.प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का एक प्रमुख स्तंभ बन चुकी है. यह नवाचार को गति दे रही है, अवसरों का विस्तार कर रही है और विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्र की प्रगति में योगदान दे रही है. हमारी निरंतर प्राथमिकता प्रतिभाओं को सशक्त बनाना, अनुसंधान को प्रोत्साहित करना और ऐसे समाधान विकसित करना है जो राष्ट्रीय विकास तथा हमारे लोगों की आकांक्षाओं — दोनों की पूर्ति करें.उल्लेखनीय है कि हर वर्ष 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, जो 1998 में पोखरण में हुए सफल परमाणु परीक्षणों (ऑपरेशन शक्ति) और भारत की तकनीकी प्रगति का प्रतीक है.

सार्वजनिक सूचना

यह सूचना स्वतंत्र माइक्रो हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (CIN: U67190MH2008PLC182274) (SMHFC) द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - शाखा प्राधिकरण) निर्देश, 2025 के पैरा 11 के अनुसरण में जारी की जा रही है, जिसके तहत यह सूचित किया जाता है कि SMHFC प्रशासनिक कारणों से दिनांक 12-08-2026 से फ्लेट नं. डी-23, दूसरी मंजिल, सुदर्शन कॉम्प्लेक्स, सर्वे नं. 321 (पार्ट), 323 एवं 324, पिथमपुर, धार, मध्य प्रदेश - 452010 में स्थित अपना कार्यालय बंद कर रहा है।

दि धरमपेठ महिला मल्टी स्टेट को-ऑप. सोसायटी लि., नागपूर. (महाराष्ट्र, छत्तिसगढ व मध्यप्रदेश) आपला परिवार, आपली संस्था! 31 वर्ष विश्वासाचे
स्थापना-१९९४ ISO 9001-2015

मुख्य कार्यालय- प्लॉट नं. ४२-अ, सीताराम भवन, राम नगर चौक, शिवाजी नगर, नागपूर-१० फोन: 0712-2524337 / 2520303

सुचना
(खातेधारक एवं लॉकरधारको के लिए)

संस्था की इंदौर शाखा के सभी मा. खातेधारक और लॉकरधारकों को सुचीत किया जाता है कि यह शाखा इंदौर से पांढुर्णा स्थानांतरीत होने के कारण यहाँ के सभी खाताधारकोने अपने खाते और लॉकर्स कृपया दि. 10.06.2026 तक बंद करे। लॉकरधारकोंने अपने लॉकर्स का सामान निकाल के लॉकर्स खाली करे और चाबी शाखा प्रबंधक को सोपे। अन्यथा लॉकर्स की जिम्मेदारी संस्था कि नही रहेगी, और खाताधारकोने दि.10.06.2026 तक खाता बंद नही किया तो उनका विड्रॉल संस्था की मुख्य कार्यालय, नागपूर आकर खाता बंद करके लेना होगा।कृपया आप सभी का सहकार्य अपेक्षीत है।

नागपूर
दि. 11.05.2026

आदेशानुसार
अध्यक्ष

इंदौर शाखा– प्लॉट नं. 178, मराठे कॉम्प्लेक्स, पहिली मंजिल, देवी अहिल्या मार्ग (जेलरोड), इंदौर –452007. फोन नं. –0712 2436200, मो क्रं. 9922627818

पांढुर्णा शाखा– श्री बजरंग छाया कॉम्प्लेक्स,शास्त्री वार्ड, बसस्टॉप के पिछे, आदित्य हॉटेल के पास, परसोडी,पांढुर्णा (म.प्र) 430334

कार्यालय उप संचालक पशुपालन एवं डेयरी विभाग जिला बड़वानी (म.प्र.)

क्रमांक /092 प्रक्षेत्र / योजना / 2026 — बड़वानी, दिनांक 24/04/2026

ई- निविदा सूचना

संचालनालय पशुपालन मध्यप्रदेश की ओर से शासकीय बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र फत्यापुर पर वर्ष 2026-27 में शेष अवधि के लिए चना मसूर मिश्रित भूसा क्रय हेतु ई- प्रोक्योरमेंट पद्धति से पोर्टल www.mptenders.gov.in पर ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है।

स.क्र.	कार्य विवरण	धरोहर राशि	निविदा की राशि	ऑनलाईन निविदा प्रपत्र क्रय करने का प्रारम्भ दिनांक	निविदा प्रपत्र अपलोड करने का अंतिम दिनांक
JDVSIND 03/2026	चना -मसूर मिश्रित भूसा क्रय हेतु निविदा आमंत्रण	रु.25,000/- (पच्चीस हजार मात्र)	2000+ (प्रोसेसिंग फीस)	12.05.2026	27.05.2026

1. निविदा प्रपत्र उक्त वर्णित बेबसाईट पर ऑनलाईन भुगतान कर प्राप्त किये जा सकते है।
2. निविदा संबंधी समस्त जानकारी बेबसाईट पर अथवा कार्यालयीन से प्राप्त की जा सकती है।
3. निविदा का अनुमानित मूल्य रू. 11.00 लाख (अनुमानित) है।

उप संचालक
पशुपालन एवं डेयरी विभाग
जिला बड़वानी (म.प्र.)

G12686/26

कार्यालय नगर पालिक निगम बुरहानपुर

निविदा सूचना 2026-27

निविदा सूचना क्र / अग्निशमन / 2026-27/02 — बुरहानपुर दिनांक : 11 /05/2026

नगर पालिक निगम बुरहानपुर द्वारा ऑन लाइन पोर्टल https://mptenders.gov.in टेण्डर आमंत्रित किये जाते है। टेण्डर का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:

क्र.	टेंडर आई.डी.नं.	कार्य का नाम व सीन	कार्य की समयावधि एवं लागत रु. लाख में।	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं EMD	निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि
1	2025_UAD_505723_1	Purchasing of 2 Fire Mini Water Tender as per attached estimate	3 माह 50 लाख	5000/- 37500/-	12/06/2026

ऑनलाइन क्रय एवं प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि As per key Date, कार्य का विस्तृत विवरण वेबसाइट https://mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है। उपरोक्त निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाता है, तो वेबसाइट पर ही दिखाई देगा।

आयुक्त
नगर पालिक निगम,बुरहानपुर

चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में यूपीआई पेमेंट बना सुराग

कोलकाता 11 मई. कोलकाता में हुए चर्चित चंद्रनाथ रथ हत्याकांड की गुत्थी अब सुलझती नजर आ रही है. सुवेंदु अधिकारी के करीबी माने जाने वाले चंद्रनाथ रथ की हत्या ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में जबरदस्त हलचल पैदा कर दी थी. अब इस मामले में एक यूपीआई पेमेंट पुलिस के लिए सबसे बड़ा सुराग बनकर सामने आया है. हत्या के बाद भाग रहे संदिग्धों ने बाली टोल प्लाजा पर डिजिटल पेमेंट किया था. इसी ट्रांजैक्शन के जरिए पुलिस ने संदिग्धों की गतिविधियों और लोकेशन को ट्रैक किया. जांच आगे बढ़ने पर बंगाल पुलिस ने उत्तर प्रदेश से तीन और बिहार से एक संदिग्ध को पकड़ लिया. इन सभी से गहन पूछताछ की जा रही है.

- पुलिस ने यूपी से तीन व बिहार से एक संदिग्ध को पकड़ा
- टोल प्लाजा ट्रांजैक्शन से मिली पुलिस को बड़ी सफलता

मध्यमग्राम में बुधवार रात हुए इस हत्याकांड ने पूरे राज्य को झकझोर दिया था. शुरुआती दिनों में पुलिस के पास कोई ठोस सुराग नहीं था और आरोपी लगातार पुलिस को चकमा दे रहे थे. लेकिन डिजिटल ट्रांजैक्शन की डिटेल्स ने पूरी जांच की दिशा बदल दी. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि हत्या के पीछे व्यक्तिगत दुश्मनी, राजनीतिक रंजिश या कोई बड़ी साजिश थी. आरोपियों ने भागने के दौरान कई राज्यों का रास्ता इस्तेमाल किया. इसी वजह से उत्तर प्रदेश और बिहार में भी पुलिस की टीमें भेजी गईं. पुलिस अब आरोपियों के मोबाइल डेटा, बैंक रिकॉर्ड और कॉल डिटेल्स की भी जांच कर रही है. राजनीतिक गलियारों में भी इस मामले को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है. विपक्ष राज्य की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है, जबकि पुलिस दावा कर रही है कि जल्द ही पूरे हत्याकांड का खुलासा कर दिया जाएगा. आधुनिक अपराध जांच में डिजिटल पेमेंट और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेल अब सबसे बड़ा हथियार बनते जा रहे हैं. चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में भी एक छोटे से यूपीआई ट्रांजैक्शन ने पुलिस को आरोपियों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई.

Chola Enter a better life

चोलामंडलम निवेश और वित्त कंपनी लिमिटेड

कॉर्पोरेट कार्यालय: "चोला क्रेस्ट", सी54 और 55, सुपर बी-4, थिरु वी का औद्योगिक एस्टेट, गिंडी, चेन्नई - 600 032।

कब्जा नोटिस (नियम 8 (1) (अचल संपत्ति के लिए)

जबकि अधोहस्ताक्षरी, मेसर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (जिसे इसके बाद अधिनियम कहा जाएगा) के तहत और सुरक्षा हित [प्रवर्तन] नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पढ़े गए धारा 13 [2] के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उधारकताओं को, जिनके नाम नीचे कॉलम [बी] में दर्शाए गए हैं, कॉलम [सी] में निर्दिष्ट तिथियों पर मांग नोटिस जारी किए हैं, जिसमें उन्हें उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर नीचे कॉलम [डी] में दर्शाई गई बकाया राशि ब्याज सहित चुकाने के लिए कहा गया है।

ऋणकर्ता/सह-ऋणकताओं द्वारा राशि का पुनर्भुगतान न कर पाने के कारण, ऋणकर्ता/सह-ऋणकताओं और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) और सुरक्षा हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 7 मई, 2026 को नीचे वर्णित संपत्ति का प्रतीकात्मक कब्जा ले लिया है।

ऋणकर्ता/सह-ऋणकताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें गिरवी रखी गई संपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय का उल्लेख है।

ऋणकताओं को विशेष रूप से और आम जनता को चेतावनी दी जाती है कि वे नीचे कॉलम [ई] में उल्लिखित संपत्तियों से संबंधित कोई भी लेन-देन न करें और ऐसा कोई भी लेन-देन मेसर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा, जिसकी राशि कॉलम [डी] में उल्लिखित है और उस पर ब्याज भी लगेगा।

स. क्र.	उधारकर्ता का नाम और पता और ऋण खाता संख्या	मांग सूचना की तिथि	बकाया राशि	अचल संपत्ति का विवरण	कब्जा करने की तिथि
(ए)	(बी)	(सी)	(डी)	(ई)	(एफ)
1	ऋण खाता संख्या नं. PR00036405 & TL01IND00000048997 1. मैसर्स दुर्गा 1. खाद्य उत्पाद 2. सुश्री दुर्गा गृह उद्योग 3. श्री राजेंद्र शर्मा 4. श्री वर्षा शर्मा	16.02.2026	रू. 1,16,84,420/-, 15.02.2026 तक, ब्याज सहित।	मद संख्या 1: नगर खरगोन, तहसील खरगोन, जिला खरगोन (मध्य प्रदेश), पुराना लोक निर्माण संख्या 26, नया लोक निर्माण संख्या 43, नगर क्षेत्र, रामकृष्ण कॉलोनी, वार्ड संख्या 05, सनवाद रोड, पूर्व से पश्चिम तक, दुकान संख्या 03, जिसका क्षेत्रफल पूर्व-पश्चिम 10 फीट, उत्तर-दक्षिण 12.06 फीट और खुला बरामदा है, कुल निर्मित क्षेत्र 225 वर्ग फीट (20.91 वर्ग मीटर), दुकान की ऊंचाई 14 फीट, क्षेत्रफल 225 वर्ग फीट, निम्नलिखित रूप से घिरा हुआ है: पूर्वः विक्रेता की दुकान संख्या 02, पश्चिमः विक्रेता की दुकान संख्या 04, उत्तरः विक्रेता की खुली भूमि, दक्षिणः साझा सड़क। मद संख्या 2: उक्त संपत्ति पर स्थित कारखाने/भवन का संपूर्ण भाग, जो ग्राम खेड़ी बुजुर्ग, तहसील खरगोन, जिला खरगोन (मध्य प्रदेश) में स्थित है, पी.एच. संख्या 40, सर्वेक्षण संख्या 46, क्षेत्रफल 0.821 हेक्टेयर, पैकी क्षेत्रफल 0.026 हेक्टेयर / पूर्व-पश्चिम 70 फीट, उत्तर-दक्षिण 40 फीट, कुल क्षेत्रफल 2800 वर्ग फीट (260.22 वर्ग मीटर)। निम्नलिखित सीमाओं से घिरा हुआ: (दस्तावेज के अनुसार) पूर्वः सड़क, पश्चिमः उसी सर्वेक्षण की शेष भूमि, उत्तरः उसी सर्वेक्षण की शेष भूमि, दक्षिणः उसी सर्वेक्षण की शेष भूमि, मद संख्या-3: उक्त संपत्ति पर स्थित कारखाने/भवन का संपूर्ण भाग, जो ग्राम खेड़ीबुजुर्ग, तहसील खरगोन, जिला खरगोन (मध्य प्रदेश) में स्थित है, पी.एच. संख्या 40, सर्वेक्षण संख्या 46, क्षेत्रफल 0.821 हेक्टेयर, पैकी क्षेत्रफल 0.026 हेक्टेयर / पूर्व-पश्चिम 70 फीट, उत्तर-दक्षिण 40 फीट। कुल क्षेत्रफल 2800 वर्ग फीट (260.22 वर्ग मीटर)। निम्नलिखित सीमाओं के अनुसार सीमांकितः (दस्तावेज के अनुसार) पूर्वः सड़क, पश्चिमः उसी सर्वेक्षण की शेष भूमि, उत्तरः श्री राजेंद्र पुत्र श्री सुरेशचंद्र शर्मा को बेचा गया गोदाम, दक्षिणः उसी सर्वेक्षण की शेष भूमि।	07-05-2026
2	ऋण खाता संख्या PR00036494, PR00040976 और PR00039860 1. मेसर्स मेकल मार्केटिंग, 2. सुश्री रंजना, 3. सुश्री दिव्या जोशी, 4. श्री विनोद गावशिंदे और 5. अभिजीत गावशिंदे	16.02.2026	रू. 2,62,26,362/-, 16.,02.,2026 तक, ब्याज सहित।	मद संख्या 1: मकान संख्या C-81, पटवारी हल्का संख्या 48, ईडब्ल्यूएस, मध्य प्रदेश आवास बोर्ड कॉलोनी, बरवाहा, तहसील बरवाहा, जिला खरगोन (मध्य प्रदेश) 451115 में स्थित भूखंड का पूरा टुकड़ा, जिसका क्षेत्रफल 54.00 वर्ग मीटर है। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व में भूखंड संख्या C/80 ईडब्ल्यूएस, पश्चिम में भूखंड संख्या C/82 ईडब्ल्यूएस, उत्तर में सड़क, दक्षिण में भूखंड संख्या C/70। मद संख्या 2: वार्ड संख्या 11 (नया), पटवारी हल्का संख्या 48, मकान संख्या 17 (पुराना), 17/1 (नया), तहसील बरवाहा, जिला खरगोन में स्थित मकान का पूरा टुकड़ा, जिसका क्षेत्रफल 462 वर्ग फुट (42.94 वर्ग मीटर) है। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व में सड़क, पश्चिम में रोहन पुत्र दिलीप जैन का मकान, उत्तर में ताराचंद अग्रवाल का मकान। मद संख्या 3: मकान संख्या 18, वार्ड संख्या 11, स्टेशन रोड, तहसील बरवाहा, जिला खरगोन पश्चिम निमाड़ में स्थित मकान का पूरा टुकड़ा, कुल भूखंड क्षेत्रफल 446 वर्ग फुट + 353 वर्ग फुट। मद संख्या 4: वार्ड संख्या 01, प्लॉट संख्या 138, विनोब मार्ग, महेश्वर, तहसील बरवाहा, जिला खरगोन में स्थित भूखंड का पूरा टुकड़ा, भूखंड क्षेत्रफल 2700 वर्ग फुट/250.93 वर्ग मीटर। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व-गली, पश्चिम-गली, उत्तर-अयोध्या प्रसाद तिवारी का मकान, दक्षिण-अन्य भूमि। मद संख्या 5: प्लॉट संख्या 11, पटवारी हल्का संख्या 46, औद्योगिक क्षेत्र, नर्मदा रोड, बरवाहा, तहसील बरवाहा, जिला खरगोन में स्थित भूखंड का पूरा टुकड़ा, भूखंड क्षेत्रफल 2815.98 वर्ग मीटर। सीमाएँ इस प्रकार हैं:- पूर्वः औद्योगिक क्षेत्र रोड, पश्चिमः विभागीय भूमि, उत्तरः मेसर्स कन्हैया ऑयल मिल, दक्षिणः मेसर्स गायत्री इंडस्ट्रीज। मद संख्या 6: मकान संख्या सी-80, पटवारी हल्का संख्या 48, ईडब्ल्यूएस, एमपी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, बरवाहा, तहसील-बरवाहा, जिला खरगोन में स्थित भूखंड का पूरा टुकड़ा। भूखंड का क्षेत्रफल 54.00 वर्ग मीटर है। सीमाएँ इस प्रकार हैं:- पूर्वः प्लॉट संख्या सी/79 ईडब्ल्यूएस, पश्चिमः प्लॉट संख्या सी/81 ईडब्ल्यूएस, उत्तरः रोड, दक्षिणः प्लॉट संख्या सी/71।	07-05-2026

दिनांक: 07.05.2026
स्थान: खरगोन

प्राधिकृत अधिकारी
चोलामंडलम निवेश और वित्त कंपनी लिमिटेड

वेस्टर्न केपिटल एडवाईजर्स प्रायवेट लिमिटेड

WESTERN CAP

पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट कार्यालय : सी-402, बिजनेस स्क्वायर, अंधेरी - कुर्ला रोड, चकाला, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400093
क्षेत्रीय कार्यालय : ऑफिस नं. 203, ओम गुरुदेव प्लाजा, सावित्री एम्पायर, सयाजी होटल के पीछे, इन्दौर (म.प्र.) - 452010.

मांग सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूतिहित का प्रवर्तन अधिनियम (SARFAESI Act) 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत नोटिस

निम्न उधारकर्ता को एतद् द्वारा नोटिस दिया जाता है कि **मेसर्स वेस्टर्न केपिटल एडवाईजर्स प्रायवेट लिमिटेड (WCAPL)** से ऋण प्राप्त किया है लेकिन उनके द्वारा ऋण की ईएमआई **(EMIs)** का नियमित भुगतान नहीं किया गया है और इस कारण नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा जारी दिशा निर्देशो के तहत उनका ऋण खाता एनपीए (नॉन परफार्मिंग एसेट) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इन उधारकर्ताओ ने WCAPL के पास सिक्युरिटी के रूप में अचल संपत्ति रखी है जिनका ब्यौरा और आज तारीख तक उधारकर्ता द्वारा WCAPL को चुकायी जाने वाली ऋण एवं बकाया राशि का ब्यौरा भी नीचें दर्शाया गया है। उधारकर्ता और सामान्य जनता को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि WCAPL के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में निम्न हस्ताक्षरकर्ता, जमानती लेनदार ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूतिहित का प्रवर्तन अधिनियम (SARFAESI Act) 2002 के तहत निम्न उधारकर्ता के विरूद्ध कार्यवाही प्रारंभ की है। यदि निम्न उधारकर्ता उनके नाम के सामने दर्शाए गए बकाया देयों का भुगतान इस नोटिस के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर नहीं करता है तो जमानती लेनदार को सरफेसी (SARFAESI Act) अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अतर्गत प्रदत्त एक या उससे अधिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए इस संपत्ति को कब्जा/अधिकार में लेने और इसे बेचने की कार्यवाही करेंगे। सामान्य जनता को सलाह दी जाती है कि वे नीचें वर्णित संपत्ति के साथ किसी भी प्रकार का लेनदेन न करें।

क्रं.	ऋणी/सह-ऋणी के नाम लोन खाता नं./शाखा	मांग सूचना दिनांक एवं राशि	सुरक्षित आस्ति का विवरण (अचल सम्पत्ति)
1.	**LAN: WRLMH-H-UJJ0101250738/ शाखा: उज्जैन श्री कमल जीवन सिंह पिता जीवन सिंह अंजना (ऋणी) प्रियंका कमल सिंह (सह-ऋणी)** दोनों का पता: ग्राम कुलाला, पोस्ट ऑफिस कुलाला, गिरोटा, इंदौर, मध्य प्रदेश – 453220	**20-04-2026 & Rs. 22,48,351/-**	संपत्ति के शेष एवं संपूर्ण भाग सर्वे/हाउस संपत्ति 118, पी.एम. क्रमांक 02 में स्थित है, जो ग्राम कुलाला, तहसील देपालपुर, जिला इंदौर (म.प्र.) – 453220 कुल क्षेत्रफल: 2502 वर्ग फीट कारपेट/निर्माण क्षेत्रफल: 1550 वर्ग फीट **चर्तु:सीमाएँ निम्नानुसार हैं:** पूर्वः रोड, पश्चिम: रोड, उत्तर: कमल सिंह की भूमि, दक्षिण: जीवन सिंह का मकान
2.	**LAN: WRLMH-H-UJJ0106252114/ शाखा: उज्जैन श्री ईश्वर माधव सिंह (ऋणी) सुगनबाई ईश्वर सिंह (सह-ऋणी) दोनों का पता:** सर्वे क्रमांक 688/2, प.ह.न. 97 में स्थित प्लॉट / मकान संपत्ति, ग्राम खारपा, तहसील तराना, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश	**20-04-2026 & Rs. 31,75,536.65**	संपत्ति के शेष एवं संपूर्ण भाग प्लॉट / मकान संपत्ति सर्वे नं. 688/2, प.ह.नं. 97, खसरा नं. 668/2, ग्राम खारपा, तहसील तराना, जिला उज्जैन (म.प्र.) स्थित संपत्ति का क्षेत्रफल: 6500 वर्ग फीट भूतल निर्मित क्षेत्रफल: 2520 वर्ग फीट खुला क्षेत्रफल: 3980 वर्ग फीट **चर्तु:सीमाएँ निम्नानुसार हैं:** पूर्वः रोड, पश्चिम: ईश्वर सिंह का कृषि भूमि, उत्तर: गंगा राम का मकान, दक्षिण: राधे श्याम का प्लॉट

स्थान : मध्यप्रदेश
दिनांक : 12.05.2026

प्राधिकृत अधिकारी
तर्फे वेस्टर्न केपिटल एडवाईजर्स प्रायवेट लिमिटेड